[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

**भारत सरकार**
**वित्त मंत्रालय**
**(राजस्व विभाग)**
**[केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड]**

**अधिसूचना सं०. 68/2017– केंद्रीय कर**

**नयी दिल्ली, 21 दिसंबर, 2017**

**सा.का.नि. ……….. (अ)**–आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 1416(अ), तारीख 15 नवंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं0 60/2017–केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 63 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (5) के अधीन **प्ररूप जी.एस.टी.आर. 5** में किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, जुलाई, 2017, अगस्त, 2017, सितंबर, 2017, अक्तूबर, 2017, नवंबर, 2017 और दिसंबर, 2017 मास के लिए विवरणी देने की समय-सीमा 31 जनवरी, 2018 तक बढ़ाते हैं ।

**[फा.सं. 349/58/2017-जीएसटी(भाग)]**

**(गुंजन कुमार वर्मा)**
**अवर सचिव, भारत सरकार**